



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 119 राँची, बुधवार,

1 मार्च, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

28 फरवरी, 2023

संख्या-09/बजट(JCF) -03/2023 आ.प्र.-163—

विषय:- वर्ष 2022 में झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में घोषित सुखाड़ के आलोक में सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त राशि 268,14,35,500/- (दो सौ अड़सठ करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये को झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त किये जाने के संबंध में ।

विभागीय अधिसूचना संख्या-1291 दिनांक-31.10.2022 द्वारा वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलम्ब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अधिसूचना की कंडिका-8(i) में पात्र लाभार्थियों को आनुग्राहिक राहत/कृषि इनपुट अनुदान का लाभ प्रदान करने के संबंध में अंकित है “राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार के तत्काल राहत हेतु 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराई जायेगी।”

2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) झारखण्ड के पत्रांक-229 दिनांक-25.01.2023 (अनुसूची-1 संलग्न) द्वारा इस वर्ष बोआई नहीं करने वाले किसानों एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों से पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत पूर्व में जिलों को आवंटित राशि को घटाते हुए वर्तमान में तत्काल राहत हेतु रु. 3,500/- की दर से 22 जिलों में प्राप्त आवेदनों की कुल सं.-21,17,553 के लिए कुल राशि-280,14,35,500/- (दो सौ अस्सी करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र आनुग्राहिक राहत की राशि की माँग की गई है। इसमें यह भी उल्लेख है कि 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले किसानों से प्राप्त आवेदनों पर जिलावार क्षेत्र सत्यापन कराते हुए कृषि इनपुट अनुदान की राशि की माँग अलग से की जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2021-NDM-I दिनांक-12.01.2022 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखण्ड राज्य हेतु राज्य आपदा मोचन निधि की राशि 635.20 करोड़ (राज्यांश-158.40 करोड़ + केन्द्रांश-476.80 करोड़) रुपये कर्णांकित है। गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक-10.10.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मापदण्ड के क्रमांक-"A-Response & Relief [40% of State Disaster Risk Management Fund (SDRMF) i.e. equal to 50% of SDRF allocation for the year] के तहत Items 1-Gratuitous Relief की उप कंडिका(e)-Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected" हेतु Norms of Assistance में व्यवस्था दी गई है कि "..... The SEC can extend the time period beyond the prescribed limit. Provided that expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year. अर्थात् प्रावधानानुसार आनुग्राहिक राहत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से अधिक आवंटित की गई या की जाने वाली राशि राज्यकोष भारित माना जायेगा।

4. राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-39 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-01-सूखा, लघु शीर्ष-101-आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष-03-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, इकाई-49-आर्थिक सहायता (विपत्र कोड-39-S-2245-01-101-03-00-06-49) मद में (उपबंधित राशि 70.00 (सत्तर) करोड़) पुनर्विनियोग के माध्यम से 403.00 (चार सौ तीन) करोड़ की राशि का प्रावधान कराया गया। इस प्रकार उक्त बजट शीर्ष में कुल राशि 473.00 (चार सौ तिहत्तर) करोड़ रुपये में से वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय आवंटनादेश सं०-24(आ.) दिनांक-26.12.2022 से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त राशि 461.00 (चार सौ इकसठ) करोड़ रुपये का आवंटन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को किया गया है। वर्णित शीर्ष में 12.00 (बारह) करोड़ रुपये की राशि अवशेष है।

5. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा अधियाचित कुल राशि 280,14,35,500/- के विरुद्ध संगत बजट शीर्ष में अवशेष राशि 12.00 (बारह) करोड़ रुपये को घटाने पर 268,14,35,500 (दो सौ अड़सठ करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये की और आवश्यकता है ।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022 में घोषित सुखाड़ के आलोक में सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को आनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 268,14,35,500 (दो सौ अड़सठ करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र को झारखण्ड आकस्मिकता निधि से निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा:-

मांग संख्या	-	39-गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
मुख्य शीर्ष	-	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
उप मुख्य शीर्ष	-	01-सूखा,
लघु शीर्ष	-	101-आनुग्राहिक राहत,
उप शीर्ष	-	03-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान
विस्तृत शीर्ष	-	06-अनुदान,
		49-आर्थिक सहायता

(विपत्र कोड-39-S-2245-01-101-03-00-06-49)

7. उपरोक्त कंडिका-6 पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-09.02.2023 की बैठक के मद संख्या-19 में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।
